मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं पुण्यतिथि पर धानक्या में आयोजित प्रार्थना सभा में उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उद्योग राज्य मंत्री के.के. विश्नोई, विधायक कालीचरण सराफ, गोपाल शर्मा, जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निंबाराम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति अध्यक्ष प्रो. मोहन लाल छीपा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

‘डॉ. किरोड़ी के नोटिस पर मीडिया ट्रायल नहीं करें’

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, यह संगठन परिवार का आंतरिक मामला है

- **मदन राठौड़ ने कहा, हर राजनीतिक संगठन के भीतर कुछ मुद्दे उभरते हैं, जिन्हें संगठन के सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर सुलझाया जाता है।**
- **उन्होंने कहा, मंत्री किरोड़ी लाल के समर्थकों का कहीं भी कोई उग्र प्रदर्शन नहीं है। हमारे कार्यकर्ता हमेशा अनुशासन व मर्यादा का पालन करते हैं।**

जयपुर,11 फरवरी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नई दिल्ली में अपने आवास पर मीडिया से वार्ता करते हुए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को दिए गए नोटिस पर प्रतिक्रिया दी। राठौड़ ने कहा कि भाजपा का संगठनात्मक ढ़ांचा बेहद सशक्त और अनुशासित है। पार्टी हमेशा समय-समय पर उचित निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध रहती है। संगठन को किसी मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस होती है तो पार्टी उसकी समीक्षा करके उचित कदम भी उठाती है। राठौड़ ने स्पष्ट किया कि संगठन में समुचित व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इससे संगठन एकजुट, अनुशासित और स्थिर रहने के साथ अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाता है।

मदन राठौड़ ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से संगठन परिवार का आंतरिक मुद्दा है, इसे परिवार के भीतर ही सुलझाने की प्रक्रिया जारी है। राठौड़ ने इस मामले में मीडिया ट्रायल न करने का अनुरोध करते हुए कहा कि हर राजनीतिक संगठन के भीतर कुछ मुद्दे उभरते हैं, जिन्हें संगठन के सिद्धातों और मूल्यों के आधार पर सुलझाया जाता है। भाजपा कार्यकर्ताओं का एक परिवार है। इस संगठन में भी परिवार की तरह समय-समय पर संवाद तथा मार्ग दर्शन की आवश्यकता होती है।

मदन राठौड़ ने किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों के उग्र प्रदर्शन के सवाल पर कहा कि कहीं भी ऐसा कोई उग्र प्रदर्शन नहीं है, न ही इसकी कोई आवश्यकता है। हमारे समर्थक हमेशा संगठन के अनुशासन और मर्यादा का पालन करते हैं। भाजपा के समर्थक पार्टी के सच्चे हितैषी हैं और किसी भी प्रकार की अनियमितता में विश्वास नहीं रखते हैं, हम सब एकजुट हैं।

मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता और समर्थक राष्ट्रिहत में समर्पित है।

हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अनुशासन और निष्ठा के साथ काम करें, ताकि हम प्रदेश के साथ देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। पार्टी के अनुशासित और समर्पित कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं और इन्हीं के बल पर हम आगे बढ़ते रहेंगे।

कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आई.ई.डी. धमाका

जम्मू, 11 फरवरी। जम्मू के निकट अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास मंगलवार को हुए शक्तिशाली आईईडी विस्फोट होने से सेना के एक कैप्टन समेत दो सैन्यकर्मी शहीद हो गए और एक अन्य जवान घायल हो गया। सेना ने विस्फोट में मारे गए लोगों की पुष्टि की और कहा कि तलाशी अभियान जारी है।

- **हादसे में दो जवानों के शहीद होने व एक के घायल होने की जानकारी मिली है।**

इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि सैनिक गश्त कर रहे थे, तभी भट्टल क्षेत्र में एक अग्रिम चौकी के पास दोपहर करीब 3:50 बजे शक्तिशाली विस्फोट हुआ।

घायल कर्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक कैप्टन समेत दो की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अन्य घायल सैनिक की हालत ''खतरे से बाहर'' है। सेना की जम्मू स्थित वाइट नाइट कोर इकाई ने दोनों सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया।

अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट के तुरंत बाद ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि घायल सैनिक को अस्पताल ले जाया गया है तथा उसकी हालत गंभीर बताई गई है।

दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध हो?

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार व चुनाव आयोग से 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा

- **सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि क्लास 4 का कर्मचारी गंभीर अपराध में दोषी पाये जाने के बाद अपनी नौकरी वापस नहीं जा सकता, लेकिन दोषी नेता वापस सांसद/विधायक और मंत्री भी बन सकता है। हम जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 की जाँच करेंगे।**

नई दिल्ली, 11 फरवरी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंधित लगाने की मांग वाली याचिका पर 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। क्या दोषी सांसदों और विधायकों पर चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध हो? इस पर सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करने के लिए तैयार हो गया है और केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले पर4 मार्च को सुनवाई होगी। मामले को सुनवाई के लिए तीन जजों की बैंच को भेजा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक सरकारी कर्मचारी जैसे कि क्लास 4 कर्मचारी एक बार हत्या या बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में दोषी साबित हो जाए तो वह अपनी नौकरी वापस नहीं पा सकता, लेकिन एक सांसद/विधायक एक बार फिर सांसद या विधायक बन सकता है और मंत्री भी बन सकता है। हम जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 की जांच करेंगे।

दरअसल याचिका में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान निचली अदालतों में एमपी/एम एल ए कोर्ट में सुनवाई की रफ्तार धीमी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि दिल्ली की निचली अदालतों में उन्होंने देखा है कि एक या दो मामले लगाए जाते हैं और जज 11 बजे तक अपने चैंबर मे चले जाते हैं।

न्यायमित्र विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश के दूसरे राज्यों मे बार बार सुनवाई टाल दी जाती है और सुनवाई टालने का कारण भी नहीं बताया जाता।सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां अबतक एमपी/एम एल ए कोर्ट गठित नहीं किए गए हैं। हंसारिया ने कोर्ट को सुझाव दिया कि क्या चुनाव आयोग ऐसा नियम नहीं बना सकता कि राजनीतिक पार्टियां गंभीर अपराध मे सजा पाए लोगों को पार्टी पदाधिकारी नहीं नियुक्त कर सकती।

भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने ये याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि राजनीतिक दलों को यह बताना चाहिए कि वे स्वच्छ छवि वाले लोगों को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। दलील ये दी जाती है कि आरोपी एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं।

फिलहाल आपराधिक मामलों में दो साल या उससे अधिक की सज़ा होने पर सज़ा की अवधि पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर ही रोक है।

‘आरपीएससी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर ईडी को पक्षकार बनाने की गुहार की गई। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि एएसजी ने गत सुनवाई को मामले में ईडी की ओर से प्रकरण दर्ज करने की बात कही है। ऐसे में ईडी को भी सुना जाना जरूरी है। इसलिए ईडी को पक्षकार बनाया जाए। अदालत ने याचिकाकर्ता के इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। अदालत ने एडीजी वीके सिंह से पूछा कि उन्होंने भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की थी। एसओजी का काम आपराधिक मामले में अनुसंधान करना है न कि राय देना। ऐसे में वे बताएं कि उन्हें सिफारिश देने के लिए किसने कहा था। इस पर एडीजी ने कहा कि यह उन्होंने अपने स्तर पर ही किया था।

‘ईवीएम का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का विवाद नहीं है। अगर चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को शंका हो कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, तो इंजीनियर से स्पष्ट किया जा सकता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है या नहीं। शीर्ष कोर्ट, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), हरियाणा और कांग्रेस नेताओं के एक समूह की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग ईवीमए के बर्न किए गए माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी की जांच करवाए।

और यह सुनिश्चित किया जाए कि ईवीएम में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई। मामले पर अगली सुनवाई तीन मार्च से शुरू होगी।

कोटा: एक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गया है। घटना की सूचना छात्र के परिजनों को दी गई और उनके आने के बाद पोस्टमार्टम और अन्य कार्रवाई करके शव परिजनों को सौंप दिया गया।

अमेरिका के विदेशी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बनाते हैं। अमेरिका द्वारा लगाई गई एकतरफा शुल्क वृद्धि इन नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करती है। डब्ल्यू.टी.ओ. द्वारा ऐसी उल्लंघनों को निर्णायक रूप से संबोधित करना आवश्यक है, ताकि इसकी विश्वसनीयता और प्रासंगिकता बनी रहे। एक मजबूत और प्रभावी प्रतिक्रिया तनाव को कम करने, वैश्विक व्यापार प्रणाली में विश्वास को बहाल करने और सहयोग को प्राथमिकता देने की आवश्यकता की फिर से पुष्टि कर सकती है।

हालाँकि, डब्ल्यू.टी.ओ. के समय अपनी स्वयं की चुनौतियाँ हैं, विशेष रूप से विवाद निपटाने में। अमेरिका द्वारा नए सदस्य नियुक्तियों को मंजूरी देने से इंकार करने से इसकी अपैलेट बॉडी ठप्प हो गई है। इससे डब्ल्यू.टी.ओ. की कार्यक्षमता कमजोर हो गई है। इस विघटन के बावजूद, डब्ल्यू.टी.ओ. एकमात्र वैश्विक मंच बना हुआ है, जो व्यापार विवादों को हल करने के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष और नियम आधारित दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है

लेख का दावा है कि डब्ल्यू.टी.ओ. के नियमों का चीन द्वारा पालन करने से जाहिर है कि वह अमेरिका की एकतरफा नीति का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुपक्षीय तंत्र का उपयोग करके, चीन सहयोग को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है। इसके विपरीत, अमेरिका की संरक्षणवादी कार्रवाइयाँ वैश्विक प्रयासों से अधिक असंगत होती जा रही हैं। जो आपसी लाभकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए की जा रही हैं। इस उतार-चढ़ाव भरे व्यापार परिदृश्य में, यह आवश्यक है कि सभी देश डब्ल्यू.टी.ओ. के साथ खड़े हों। देशों को स्थापित नियमों को नजरअंदाज करने और एकतरफा कार्य करने की अनुमति देना केवल विखंडन, अस्थिरता और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनेगा। डब्ल्यू.टी.ओ. के प्राधिकरण का सम्मान करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक स्थिर, पूर्वानुमानित और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली बनी रहे।

‘फिलिस्तीनियों को वापस गाज़ा पट्टी लौटने का अधिकार नहीं होगा’

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के विवादास्पद बयान का कई देश के नेताओं ने विरोध किया

- **ट्रम्प की टिप्पणी उनके सहयोगियों के बयानों से विपरीत है। वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन लैविट ने पिछले सप्ताह कहा था कि गाज़ा के लोगों को केवल अस्थायी रुप से स्थानांतरित किया जाएगा।**

वाशिंगटन, 11 फरवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रम्प ने एक विवादित बयान में कहा है कि फिलिस्तीनी लोगों को गाजा पट्टी से विस्थापित किए जाने के बाद वहां वापस लौटने का अधिकार नहीं होगा। ट्रम्प ने ‘फॉक्स न्यूज’ को दिए एक साक्षात्कार में सोमवार कहा कि गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के बाद फिलिस्तीनी लोगों को वहां वापस नहीं आने दिया जाएगा।

ट्रम्प के इस बयान का फिलिस्तीनी नेताओं और अन्य देशों के नेताओं ने विरोध किया है। जॉर्डन और मिस्त्र के नेताओं ने ट्रम्प के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अपने देश में शरण देने के लिए तैयार नहीं हैं।जब ट्रम्प से पूछा गया कि गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी, जिन्हें उनके प्रस्ताव के तहत जबरन विस्थापित किया जाएगा ताकि एन्क्लेव के पुनर्निर्माण के लिए जगह बनाई जा सके, क्या उन्हें वापसी का अधिकार मिलेगा, तो उन्होंने कहा, ''नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे।''

राष्ट्रपति की यह टिप्पणी उनके सहयोगियों के बयानों के विपरीत है, जिनमें वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन लेविट भी शामिल हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह कहा था कि गाजा के लोगों को केवल अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया जाएगा।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने भी गुरुवार को पत्रकारों से कहा, ''जब तक गाजा का पुनर्निर्माण हो रहा है, तब तक लोगों को कहीं और रहना होगा।''

यह पूछने पर कि लगभग 20 लाख गाज़ावासी कहां जाएंगे, इस पर ट्रम्प ने कहा, ''मुझे लगता है कि मैं जॉर्डन और मिस्त्र के साथ एक समझौता कर सकता हूं।''

जॉर्डन और मिस्त्र, फिलिस्तीन के पड़ोसी देश हैं।ट्रम्प ने खुलकर दोनों देशों से गाजा के फिलिस्तीनियों को शरण देने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति ने कल अपने ओवल कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि यदि इन देशों ने उनकी मांग मानने से इनकार किया, तो वह संभावित रूप से उनकी सहायता रोक सकते हैं।

फिलहाल, जॉर्डन और मिस्त्र, जो पहले से ही बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शरण दिए हुए हैं, के नेताओं ने ट्रम्प की यह मांग खारिज कर दी है।

बस कंडक्टर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर था। वह 10 जनवरी 2025को एसएमएस अस्पताल से सुबह बस लेकर कानोता की ओर चला। इस दौरान उसने एक यात्री को ईटीआईएम मशीन से कानोता का टिकट निकालकर दे दिया। करीब 10.55 पर उसने सवारियों को कानोता बस स्टैंड पर उतार दिया और हीरावाला व नायला सहित अन्य जगह पर जाने वाली सवारियां चढ़ाईं। टिकट गिनती करने पर एक सवारी ज्यादा पाई गईं। टिकट चैक करने पर परिवादी एक यात्री के पास पहुंचा और पूछा कि उन्होंने कहां की टिकट ली है। जिस पर यात्री ने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, कि तूने कानोता की टिकट दी है, मुझे कानोता जाना है। जिस पर परिवादी ने कहा कि कानोता पीछे रह गया है, वे चाहें तो अब उतर जाएं, लेकिन यात्री ने कहा कि वह बस को वापस मोड़े व उसे कानोता उतारे। इस पर उसने यात्री को नायला की टिकट निकालकर उससे दस रुपए मांगे। यात्री ने दस रुपए देने से मना कर दिया और कहा कि वह उसे सस्पैंड करवा देगा और परिवादी के थप्पड़ मार दिया। अदालत से मांग की गई कि यात्री ने राजकार्य में बाधा पहुंचाई है, इसलिए यात्री के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जाए। कोर्ट ने पुलिस थाने को मामला दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया।

‘अब आप ‘‘अपनी ठंडी कोल्ड ड्रिंक’’...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हर साल दुनिया के महासागरों में लाखों टन प्लास्टिक कचरा प्रवेश करता है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लास्टिक स्ट्रॉ से दूरी बना ली है और प्लास्टिक के उपयोग को घटाने को अपने सस्टेनबिलिटी लक्ष्य का हिस्सा बना लिया है, जिससे ट्रम्प का निर्णय व्यापार जगत में एक अपवाद बन गया है।

ट्रम्प, जिन्होंने लंबे समय से कागज़ के स्ट्रॉ के खिलाफ आवाज उठाई है, और जिनके 2019 के रीइलेक्शन अभियान में ट्रंप-ब्रांड के रीयूज़ेबल प्लास्टिक स्ट्रॉ का 10 का पैक 15 डॉलर में बेचा गया था, के इस कदम ने बाइडन प्रशासन की एक नीति को लक्ष्य बनाया है, जिसका उद्देश्य 2027 तक संघीय खरीद से सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जिनमें स्ट्रॉ भी शामिल हैं, को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है, और 2035 तक सभी संघीय संचालन से इसे समाप्त करना है।

सप्ताहांत में ट्रंप ने अपनी ट्रूथ सोशल साइट पर कहा, ‘‘अपनी अगली ड्रिंक का उस स्ट्रॉ के बिना आनंद लें जो आपके मुंह में घुल जाता है।’’ इस पोस्ट में उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की नीति को 'मृत' घोषित किया।

पर्यावरण समूह ओसीआना की प्लास्टिक अभियान निदेशक क्रिस्टी लैविट ने कहा, ‘‘ट्रंप का आदेश समाधान ढूंढने से ज्यादा संदेश देने के बारे में है।’’ उन्होंने यह भी कहा कि अधिकांश अमेरिकी मतदाता, कंपनियों द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक पैकेजिंग को घटाने का समर्थन करते हैं।

लैविट ने कहा, ‘‘दुनिया प्लास्टिक प्रदूषण संकट का सामना कर रही है, और हम अब अपने महासागरों और ग्रह के सामने खड़े सबसे बड़े पर्यावरणीय खतरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते।’’

प्लास्टिक प्रदूषण समुद्र की सतह पर, दूरदराज तटों पर, पिघलती हुई आर्कटिक सी आइस में और महासागर के तल की गहरी जगहों पर पाया गया है। लैविट ने कहा, ‘‘यह हर जगह है।’’

प्लास्टिक उत्पादन उद्योग ने ट्रम्प के कदम की सराहना की है।

प्लास्टिक उद्योग संघ के अध्यक्ष और सीईओ मैट सीहोम ने कहा, ‘‘प्लास्टिक पर वापसी’’ एक आंदोलन है जिसे हमें सभी को समर्थन देना चाहिए।’’

एडवोकेसी ग्रुप, स्ट्रॉज़ टर्टल आइलैंड रैस्टोरेशन नेटवर्क के अनुसार, अमेरिका में हर दिन 390 मिलियन से अधिक स्ट्रॉ का उपयोग किया जाता है, जो ज्यादातर 30 मिनट या उससे कम समय के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। स्ट्रॉ को विघटित होने में कम से कम 200 साल लगते हैं और जब ये माइक्रोप्लास्टिक्स में बदलते हैं, तो यह कछुओं और अन्य वन्य जीवन के लिए खतरे का कारण बनते हैं।

ग्रुप ने कहा, ‘‘एक और समुद्री कछुए को प्लास्टिक का शिकार बनने से रोकने के लिए, हमें इन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए संघर्ष करने के लिए अपनी व्यक्तिगत जीवनशैली में बदलाव करना होगा।’’

हर साल, दुनिया में 400 मिलियन टन से अधिक नया प्लास्टिक उत्पादन होता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, लगभग 40 प्रतिशत प्लास्टिक का उपयोग पैकेजिंग में किया जाता है।

वैश्विक स्तर पर, देश प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक संधि बना रहे हैं। पिछले साल दक्षिण कोरिया में कई देशों के नेताओं ने एक सप्ताह तक विचार विमर्श किया था लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। इस साल वार्ता फिर से शुरू होगी क्योंकि 100 से अधिक देश एक समझौता करना चाहते हैं, जो प्लास्टिक उत्पादन को सीमित करने के साथ-साथ सफाई और रीसायकलिंग पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

अमेरिका, चीन और जर्मनी वैश्विक प्लास्टिक व्यापार में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अमेरिकी निर्माताओं ने ट्रम्प से संधि वार्ता में बने रहने और बाइडन की पहले की स्थिति पर लौटने की मांग की है, जिसका फोकस प्लास्टिक उत्पादों को रीडिज़ाइन करने तथा री सायकलिंग और रीयूज़ पर था।

पॉक्सो कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फोन कर बताया कि अजय उसे ट्यूशन की जगह दिखाने के लिए पास के सरकारी स्कूल में बुला रहा है। जब पीड़िता वहां गई तो अभियुक्त उसे पास के एक बंद मकान में ले गया और उसके साथ अश्लीलता की। घर आकर पीड़िता ने फोन करके मां को फौरन घर बुलाया और उसे घटना की जानकारी दी।

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि नाबालिग की मां ने मॉडलिंग के लिए अपने कुछ फोटो उसे दिए थे, लेकिन बाज़ार में फोटो के बदले किसी ने रुपए नहीं दिए। इसके नाराज होकर अपनी बेटी के जरिए उसने उसे फंसाया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

प्र.मंत्री मोदी ट्रम्प को क्या ‘‘रिटर्न ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसे अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छिपाया गया था, जिनसे अडानी समूह ने परियोजना के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे, अभियोजकों ने पिछले साल एफ.सी.पी.ए. का हवाला देते हुए आरोप लगाया था, यह कानून अमेरिकी निवेशकों या बाजारों से जुड़े मामलों में विदेशी भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिए अनुमति देता है।

रोक और समीक्षा के आदेश अडानी समूह के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन यह देखना बाकी है कि छह महीने की समीक्षा अवधि के बाद अमेरिकी न्याय विभाग क्या निर्णय लेता है।

ट्रम्प के आदेश में कहा गया, ‘एटॉर्नी जनरल एफ.सी.पी.ए. के तहत हो रही जाँचों व कानूनी कार्यवाहियों की 180 दिन के भीतर समीक्षा करें।

आदेश कहता है, समीक्षा अवधि के दौरान, एटॉर्नी जनरल को कानून के तहत नई जाँच शुरु करने या कोई भी कार्यवाही करने पर तब तक रोक लगानी होगी, जब तक कि एटॉर्नी जनरल यह निर्धारित नहीं करते कि वह मामला अपवाद बनाया जाना चाहिए। साथ ही, यह ‘‘सभी मौजूदा जाँचों या प्रवर्तन कार्यों की विस्तार से समीक्षा करने और ऐसी मामलों के संबंध में उचित कार्रवाई करने का निर्देश देता है, ताकि उनके प्रवर्तन पर उचित सीमा बहाल की जा सके और राष्ट्रपति के विदेशी नीति प्राधिकारों को संरक्षित किया जा सके।’’

आदेश के अनुसार, कानूनी जाँच और प्रवर्तन कार्य जो संशोधित दिशानिर्देशों या नीतियों के जारी होने के बाद शुरू या जारी किए जाते हैं, ‘‘ऐसी दिशानिर्देशों या नीतियों द्वारा शासित होंगे और उन्हें विशेष रूप से एटॉर्नी जनरल द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए।’’

समीक्षित दिशानिर्देशों या नीतियों के जारी होने के बाद, एटॉर्नी जनरल यह निर्धारित करेंगे कि क्या एफ.सी.पी.ए. के तहत पूर्व में हुई अनुचित जाँचों व कानूनी कार्यवाहियों में अतिरिक्त काय्रवाही पर सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है, और ऐसा है तो वे ऐसी उचित कार्रवाई करेंगे, यदि राष्ट्रपति की कार्रवाई आवश्यक हो, तो राष्ट्रपति से ऐसी कार्रवाई करने की सिफारिश करेंगे।

पिछले साल, न्याय विभाग ने नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी एज़्र के एक पूर्व कार्यकारी पर आरोप लगाया था, यह कम्पनी अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी का केन्द्र बिन्दु है। न्याय विभाग ने एक आपराधिक आरोप पत्र भी जारी किया था।

हालाँकि, अडानी समूह ने इन आरोपों को निराधार करार दिया था, एज़्र ने कहा कि आरोपों में संदर्भित पूर्व कर्मचारी को कंपनी छोड़े हुए एक साल से ज्यादा हो गया है।

अलग से, आधा दर्जन अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा किए गए 'संदिग्ध' निर्णयों के खिलाफ नए एटॉर्नी जनरल को पत्र लिखा है, जिसमें अडानी समूह के खिलाफ एक कथित रिश्वतखोरी घोटाले में जारी आरोप पत्र भी शामिल है, जो ‘‘भारत के साथ रिश्ते को खतरे में डालता है।’’

लांस गुडेन, पैट फॉलन, माइक हैरिडोपोलोस, ब्रैंडन गिल, विलियम आर. टिम्मन्स और ब्रायन बैबिन ने 10 फरवरी को पैन बॉन्डी को पत्र लिखकर बाइडन के तहत न्याय विभाग द्वारा किए गए कुछ संदिग्ध निर्णयों पर ध्यान आकर्षित किया।

इनमें से कुछ मामले जानबूझ कर उठाए गए व कुछ को छोड़ दिया गया। अक्सर अमेरिका के घरेलू और विदेशी हितों के खिलाफ कार्रवाई करने से भारत जैसे करीबी सहयोगियों के साथ रिश्तों पर जोखिम बढ़ जाता है।

उन्होंने कहा कि भारत दशकों से अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। यह संबंध राजनीति, व्यापार और अर्थशाश से परे विकसित होकर दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतंत्रों के बीच एक निरंतर सामाजिक-सांस्कृतिक आदान-प्रदान में बदल गया है।

उन्होंने कहा, यह ऐतिहासिक साझेदारी और मित्रों के बीच निरंतर संवाद कुछ असावधान निर्णयों के कारण खतरे में पड़ गया है।

उन्होंने कहा, एक निर्णय अडानी समूह के खिलाफ एक मामला उठाना है। यह भारतीय कंपनी है, जिसके कार्यकारी भारत में स्थित हैं। यह मामला इस आरोप पर आधारित है कि इस कंपनी के सदस्यों ने भारत में भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की तैयारी की थी, जो भी विशेष रूप से भारत में स्थित हैं।

मामले को सक्षम भारतीय अधिकारियों को सौंपने के बजाय, बाइडन के न्याय विभाग ने जाँच करने और कंपनी के लोगों पर आरोप लगाया। जबकि अमेरिकी हितों को कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ।

न्याय विभाग द्वारा जानबूझ कर चुने हुए लोगों को निशाना बनाने के संभावित परिणामों को जानते हुए, एक दूसरी नजर डालने की आवश्यकता है, उन्होंने लिखा कि इस निर्णय के पीछे के वास्तविक विचारों को जानना यह पता लगाने में एक बड़ा कदम होगा कि क्या पिछले प्रशासन को बाहर की संस्थाओं से प्रभावित किया गया था।

हम आपसे बाइडन सरकार के अधीन न्याय विभाग के आचरण की जाँच करने का अनुरोध करते हैं और इस मामले से संबंधित सभी रिकॉर्डों को हमारे साथ साझा करने की माँग करते हैं, ताकि सत्य को उजागर करने के लिए एक समन्वित प्रयास किया जा सके।

केजरीवाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निशाना बनाया है। हालांकि आप सरकार विधानसभा में संख्याओं के हिसाब से आरामदायक स्थिति में है पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बजवा ने दावा किया कि 30 आप विधायक कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। आज दिल्ली में आप विधायकों की बैठक के बाद कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि यह घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि आप जल्द ही टूटने वाली है। भाजपा नेताओं ने यह भी सवाल उठाया कि आप ने पंजाब इकाई की बैठक क्यों बुलाई, जबकि उन्हें दिल्ली में हार पर चर्चा करनी चाहिए थी।

मान को पार्टी के भीतर असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उनका अपनी उपलब्धियों के बारे में कुछ कहा है: उन्होंने 600 यूनिट मुफ्त बिजली देने और 881 मोहल्ला क्लिनिक और 118 स्कूल स्थापित करने के साथ-साथ 50,000 सरकारी नौकरियां देने की बात की है। नकारात्मक पक्ष की बात करें तो मान सरकार ने महिलाओं को 1000 रुपये देने के वादे को अब तक पूरा नहीं किया है।इस बीच, अटकलें हैं कि केजरीवाल राज्यसभा में एंट्री के लिए पार्टी के पंजाब से सात सांसदों में से किसी एक को हटवाकर यह अवसर प्राप्त करेंगे। दिल्ली से उच्च सदन में एंट्री करना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में पार्टी के सदस्य कम हैं।

कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ बगावत

बेंगलुरू, 11 फरवरी। कर्नाटक में भाजपा अध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र के खिलाफ राज्य के कुछ विधायकों और नेताओं ने असंतोष जाहिर करते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। हालांकि, पार्टी हाईकमान ने उन्हें हटाने से इन्कार करते हुए विजयपुरा के विधायक को नोटिस जारी किया है। विजयेंद्र, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे हैं।

पार्टी हाईकमान ने शिकायत करने वाले नेताओं को फटकार लगाते हुए विजयेंद्र के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई से इनकार किया है। पार्टी ने विजयपुरा के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतमल को नोटिस जारी कर कहा कि आप अनुशासन भंग नहीं कर सकते। नोटिस का 72 घंटे में जवाब मांगा गया है। शिकायत करने वाले नेताओं की मांग है कि विजयेंद्र को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाकर पूर्व सीएम और सांसद बसवराज बोम्मई को कमान दी जाए। ये नेता बोम्मई से मिलकर अपनी बात रख चुके हैं। हालांकि, बोम्मई ने पार्टी हाईकमान के फैसले के साथ रहने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक विजयेंद्र को हटाने की कवायद लोकसभा चुनाव के बाद से ही शुरू हो गई थी। हालांकि, पार्टी ने इस पर अब जाकर ध्यान दिया और शिकायत करने वालों को ही नोटिस जारी कर दिया।

- **असंतुष्टों ने विजयेन्द्र को हटाकर बसवराज बोम्मई को अध्यक्ष बनाने की मांग की है।**

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:-**राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908